(4)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 42/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा **बनाम** 1. सत्यनारायण पिता देवीलाल हजुरी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया

—प्रार्थी —विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —
1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा की आ.न. 400/128 रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 10.01.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर कब्जा नही होना पाया गया। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 12.09.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 19.08.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रकरण दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिला अभिलेखालय से अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा की आ.न. 400/128 रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 10.01.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर कब्जा नही होना पाया

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गया। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम केशुविलास का मौका पर्चा एवं जमाबंदी संवत् 2074–2077 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा की आ.न. 400/128 में से रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 10.01.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी को पात्रताधारी व्यक्ति होने से व भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटित की गयी एवं विधिवत रूप से कब्जा सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा किया गया तत्पश्चात् संक्षम अधिकारी द्वारा आवंटनशुदा भूमि खाते में अभिलिखित करने के आदेश दिये गये। तरमीम न होना स्वयं प्रार्थी एवं उनकी अधीनस्थ ऐजेन्सी की लापरवाही व गलती हैं। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियम 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि टीनेंसी एक्ट लागू हो जाती हैं। इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील प्रकरण संख्या/अपील/एल.आर./6480/06/बाडमेर देवीचन्द बनाम बंशीधर में एकल पीठ ने निर्णय पारित किया कि "राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) के अतंर्गत प्रार्थी विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को 30 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त करना विधिसम्मत नही हैं।" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे 1995(2) पेज नं. 780 पतराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि खातेदारी अधिकार कन्फर्म होने के उपरान्त नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम) 1957 एवं 1970 के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। आवंटन निरस्तीकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र आवंटन के करीब 30 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया हैं एवं आवंटी को खातेदारी अधिकार कन्फर्म हो गये हैं। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांतों आर आर डी 1997 पेज नं. 195 मेघना एवं अन्य बनाम भोजा एवं अन्य (85) आर आर डी मार्च 2011 पेज नं. 126 शंकर लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर डी 1990 पेज नं. 456, अन्नाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर बी (16) 2009 पेज नं. 201 नागेन्द्र लाल बनाम धीरज में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि खातेदारी राईट कन्फर्म होने के उपरान्त एवं लम्बी अवधि के उपरान्त आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे (17) 2010 पेज नं. 158, नारायण बनाम लाखा तथा आर बी जे (17) 2010 पेज नं. 608, नरेन्द्र सिंह बनाम सरकार में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि खातेदारी अधिकार मिलने के उपरान्त किसी अन्य के अतिक्रमी होने के आधार पर भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम केशुविलास में अंकित किया हैं कि ग्राम केशुविलास के आ.न. 400/128 रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय मौक पर आराजी नं. 400/128 में खातेदार का कब्जा नही पाया गया।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूमि आवंटन पत्रावली संख्या 108/85 अनुसार श्री सत्यनारायण पुत्र देवीलाल हजुरी निवासी बिजौलिया को ग्राम केशुविलास के आराजी नं. 128 में 4.00 बीघा भूमि दिनांक 10.01.1985 को भू आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी को आवंटनशुदा भूमि का कब्जा दिनांक 26.07.1985 को पटवारी हल्का थडौदा द्वारा दिया गया।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071 से 2077 में ग्राम केशुविलास के आराजी नं. 400/128 रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय सत्यनारायण पिता देवीलाल हजुरी सा. बिजौलिया खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है –

1. आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं हैं।
2. आवंटनशुदा भूमि का राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं होने से कब्जा नहीं होना पाया गया।

आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा काश्त होने के समर्थन में विपक्षी ने साक्ष्य में दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत् 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058–2061, 2062–65, 2066–69, 2070–73 प्रस्तुत की है। जिसमें खरीफ में फसल मक्की काश्त दर्ज हैं।

प्रार्थी ने 35 वर्ष पश्चात् 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को आवंटी को खातेदारी देने से पूर्व कब्जा काश्त व राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने के बिन्दु पर जांच करना चाहिये था। प्रार्थी ने जिन आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया विश्वसनीय प्रकट होते हैं, किन्तु आवंटित भूमि के आवंटन को 30 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त कराने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना प्रकियात्मक रूप से उचित नहीं हैं। प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्तशुदा भूमि को निरस्त कराने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर दाद हासिल करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्तशुदा भूमि को निरस्त कराने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर दाद हासिल करना चाहिये। तहसीलदार बिजौलिया को निर्णय की प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निर्णयानुसार 15 दिवस में विधिक प्रकिया अपनाकर सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर राज्य हित की रक्षा करें एवं की गयी कार्यवाही से अवगत करावें एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया निर्णय की पालना के संबंध में पर्यवेक्षण कर पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया एवं तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-11- .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा